

फा.सं.9-1/2017-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(खाद्यान्न अर्थशास्त्र अनुभाग)

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 28 फरवरी, 2018

श्री रामचंद्र सिंह,
सचिव, किसान मजदूर विकास संगठन,
ग्राम - बालिगाँव, डाकघर- बलिगाँव,
प्रखंड - गढ़हनी,
जिला - भोजपुर 802203
बिहार,
मो. न.-7870773542

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, के तहत श्री रामचंद्र सिंह का कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य की निर्धारण के सूचना हेतु आवेदन

महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषयों के बारे में अपने दिनांक 12.02.2018 के पत्र का अवलोकन करें।


सरकार द्वारा 14 खरीफ फसलो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मुंग उड़द, कपास, मूंगफली छिलके सहित, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, रामतिल और 6 रबी फसलो गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड/सरसों, कुसुम्भ फसलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य सीएसीपी की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखकर कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जिससे कृषकों को अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त हो सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने में ध्यान देने वाले मुख्य कारको में से उत्पादन की लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। खेती की लागत/उत्पादन लागत का अनुमान कृषि एवम किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित मुख्य फसलो की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के माध्यम से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को उपलब्ध कराया जाता है। ये आकड़े विभिन्न राज्यों में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय/ संस्थानों की सहायता से एकत्र किये जाते हैं। इन अनुमानों में उत्पादन के वास्तविक कारको का ध्यान रखा गया है और इनमें किसान द्वारा उत्पादन में नकद और सामान के रूप में किये गये सभी वास्तविक व्यय शामिल है।

सीएसीपी, अखिल भारतीय कुल भारत औसत उत्पादन लागत पारिवारिक श्रम सहित (A2+FL) तथा अन्य पहलुओं यथा बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, आदि को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है। केन्द्रीय सरकार एवम राज्य की सार्वजनिक और सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से खरीद संचालनों का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो।

सरकार द्वारा 2016-17 तथा 2017-18 निर्धारित कृषि जिंस का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा अनुमानित अखिल भारतीय कुल भारत औसत उत्पादन लागत, पारिवारिक श्रम सहित (A2+FL) पर पर्याप्त मुनाफा प्रदान करता है।

2016-17 तथा 2017-18 हेतु रबी तथा खरीफ फसलो हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत तथा अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर प्राप्त प्रतिफल विवरण में सलग्न है।

सलग्न: यथा अनुसार


(पनीत कुमार)
सहायक निदेशक

कुल भारित औसत उत्पादन लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुल भारित औसत उत्पादन लागत पर प्रतिशत प्रतिफल

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2016-17			2017-18		
			कुल भारित औसत उत्पादन लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	कुल भारित औसत उत्पादन लागत पर प्राप्त प्रतिशत प्रतिफल	कुल भारित औसत उत्पादन लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	कुल भारित औसत उत्पादन लागत पर प्राप्त प्रतिशत प्रतिफल
	खरीफ फसल							
1	धान	(सामान्य)	1045	1470	40.7	1117	1550	38.8
		(गेड ए)	1045	1510	44.5	1117	1590	42.3
2	ज्वार	(हाईब्रिड)	1501	1625	8.3	1556	1700	9.3
		(माल्दंडी)	1501	1650	9.9	1556	1725	10.9
3	बाजरा		925	1330	43.8	949	1425	50.2
4	मक्का		966	1365	41.3	1044	1425	36.5
5	रागी		1733	1725	-0.5	1861	1900	2.1
6	अरहर (तूर)		3241	5050	55.8	3318	5450	64.3
7	मूंग		4065	5225	28.5	4286	5575	30.1
8	उड़द		3584	5000	39.5	3265	5400	65.4
9	कपास	(मध्यम रेशे)	2889	3860	33.6	3276	4020	22.7
		(लंबे रेशे)	2889	4160	44.0	3276	4320	31.9
10	मूंगफली छिलके सहित		3371	4220	25.2	3159	4450	40.9
11	सूरजमुखी बीज		3479	3950	13.5	3481	4100	17.8
12	सोयाबीन		1852	2775	49.8	2121	3050	43.8
13	तिल		4188	5000	19.4	4067	5300	30.3
14	रामतिल		3366	3825	13.6	3912	4050	3.5
	रबी फसलें							
15	गेहूँ		797	1625	103.9	817	1735	112.4
16	जौ		816	1325	62.4	845	1410	66.9
17	चना		2241	4000	78.5	2461	4400	78.9
18	मसूर (लैंटिल)		2174	3950	81.7	2366	4250	79.6
19	रैपसीड/सरसों		1871	3700	97.8	2123	4000	88.4
20	कुसुम्भ		3049	3700	21.4	3125	4100	31.2